राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकःप.8(ग)( )नियम/डीएलबी/16/10754 दिनांकः 11/8/22

आदेश

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 105, 325 तथा 337 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा नगर निगम/परिषद/पालिकाओं की उपविधियों में लाईसेन्स फीस संबंधी प्रावधान विभागीय आदेश क्रमांक प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/16/1680 दिनांक 31.01.2017 द्वारा वार्षिक लाईसेन्स फीस निर्धारित की गई थी, तत्पश्चात् आदेश दिनांक 26.04.2017 एवं आदेश दिनांक 25.08.2020 द्वारा संशोधन किये गये थे। विभागीय आदेश दिनांक 31.01.2017 में राज्य सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 337 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार संशोधन करती हैः–

1. उक्त विभागीय आदेश दिनांक 31.01.2017 के नवीन संख्या 9 के नीचे नोट संख्या 10 को निम्नानुसार जोडा जाता हैः–

"**नोट संख्या–10:–** स्वायत्त शासन विभाग के आदेश दिनांक 31.01.2017 के संदर्भ में होटल/रेस्टोरेन्ट/गेस्ट हाउस/कैन्टिन/बैकरी/पेय/आईसक्रीम पार्लर/मिठाई की दुकान/इत्यादि व्यावसायिक गतिविधियों के लिये लाईसेन्स निम्न तकनीकी मानदण्डों के अनुरूप जारी किये जाने की स्वीकृति दी जाती हैः–

- ऐसी व्यावसायिक गतिविधियों के भू–भाग को मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेन्ट प्लान/योजना मानचित्र में व्यावसायिक/मिश्रित भू–उपयोग क्षेत्र दर्शाया अथवा प्रस्तावित किया गया हो। साथ ही व्यावसायिक अथवा मिश्रित भू–उपयोग हेतु पूर्व में सक्षम स्वीकृति उपरान्त भू–उपयोग परिवर्तन किए जा चुके भू–खण्डों/भवनों पर भी उक्त लाईसेन्स अनुज्ञेय किए जा सकेंगे।
- ऐसी व्यावसायिक गतिविधियां बड़े शहरों (जैसा मॉडल राजस्थान नगरीय क्षेत्र भवन विनियम–2020 में परिभाषित है) में न्यूनतम 18.0 मीटर एवं अन्य शहरों में न्यूनतम 12.0 मीटर चौड़ी सड़कों पर ही अवस्थित हो।
- इसके अतिरिक्त ऐसे क्षेत्र/मार्ग/सड़क जहॉ ऐसी गतिविधियों का तेजी से विकास हो रहा हो, वहाँ संबंधित नगरीय निकाय ऐसी गतिविधियों की अधिकता को देखते हुए क्षेत्र/सड़क विशेष का पृथक से क्षेत्रीय विकास योजना तैयार करे तदानुसार ऐसी गतिविधियों के साथ–साथ आवश्यक मूलभूत सुविधाओं (यथा पार्किंग स्थल, जन सुविधाऐं, कार/ऑटो स्टेण्ड इत्यादि) का विकास किया जाना सुनिश्चित किया जाकर उक्त व्यावसायिक गतिविधियों हेतु लाईसेन्स जारी किए जा सकेंगे। ऐसी व्यावसायिक गतिविधियां ऐसे क्षेत्रों में अनुज्ञेय नहीं किए जावें जो कि मुख्यतया Predominently Reseidential Use क्षेत्र हों।
- उक्त लाईसेन्स/अनुज्ञा–पत्र होटल, कैफे, कैन्टीन, बेकरी, मिठाई की दुकान, आईसक्रीम पार्लर एवं समान प्रकृति की व्यावसायिक गतिविधियां इत्यादि के संचालन के लिए प्रभावी उप–विधियों के अन्तर्गत ही मान्य होगा। उक्त लाईसेन्स को व्यावसायिक भू–उपयोग परिवर्तन नहीं माना जावेगा।

- ऐसे अनुज्ञाधारी को नियमानुसार लाईसेन्स अवधि में व्यावसायिक भू–उपयोग की गतिविधि हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा नियमानुसार राशि जमा कराते हुए व्यावसायिक उपयोग की गतिविधि के संबंध में शपथ–पत्र लाईसेन्स के आवेदन के साथ लिया जाना उचित होगा, निर्धारित समयावधि में उक्त की अनुपालना नहीं किये जाने पर जारी लाईसेन्स निरस्त करने के लिए नगरीय निकाय स्वतंत्र होगा। नगरीय निकाय द्वारा लाईसेन्स को प्रत्येक वर्ष में निर्धारित राशि लिया जाकर रिन्यू भी किया जा सकेगा।
- मॉडल राजस्थान नगरीय क्षेत्र भवन विनियम–2020 के अनुसार पार्किंग की सुनिश्चितता करनी होगी, वैले पार्किंग अनुज्ञेय की जा सकती है, वैले पार्किंग के बाद में भी यदि पार्किंग पूर्ण नहीं होती है तो प्रति ई.सी.यू. रूपये 1.00 लाख राशि ली जावे इस राशि का उपयोग नगरीय क्षेत्र में अवस्थित पार्किंग के सुधार एवं नये पार्किंग क्षेत्र विकसित करने में किया जावें।
- पंजीकृत वास्तुविद् से अनुमोदित पार्किंग मानचित्र एवं विद्यमान भवन/परिसर मानचित्र आवेदक से लाईसेन्स हेतु आवेदन के साथ लिया जावें।

किन्तु अनुमति उन्हीं प्रकरणो में लाईसेन्स जारी करने हेतु दी जायेगी, जिन भवनो का मास्टर प्लान में भू–उपयोग व्यावसायिक अनुमत हो।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकःप.8(ग)( )नियम/डीएलबी/16/ 10755–11265 दिनांकः 11/5/22

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर समस्त राजस्थान।
5. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. आयुक्त/उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान।
8. समस्त अधिकारी निदेशालय।
9. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग समस्त राजस्थान।
10. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
11. अधीक्षक, केंद्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है।
12. संबंधित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी